



# तहसीलदार ने बिना सक्षम स्वीकृति के आदिवासी को मिली बंटन की जमीन का कर दिया नामांतरण

आदिवासी की जमीन को बिना कलेक्टर की अनुमति के कर दिया नामांतरण, कलेक्टर के रोक लगाये जाने के बाद भी भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाने कर दिए दर्जनों नामांतरण

**नवभारत न्यून**  
पन्ना 1 नवंबर। जनप्रतिनिधियों के चहेते अधिकार तहसीलदार अजयगढ़ की काले कारनामे सिलसिलेवार खुलते चले जा रहे हैं अभी प्रतिबंधित ग्रामों की जमीनों का जिनका कलेक्टर पन्ना द्वारा क्रय विक्रय एवं नामांतरण पर रोक लगा रखी थी। उन ग्रामों की कई जमीनों को भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए टुकड़ों में क्रय विक्रय होने के बाद नामांतरण का मामला राजधानी भोपाल तक पहुंचने का मामला ठंडा नहीं हुआ कि एक और मामला प्रकाश में आया है जिसमें एक आदिवासी की जमीन नामांतरण बिना कलेक्टर की अनुमति के क्रय विक्रय होने के

बाद कर दिया गया। जिसकी शिकायत अजयगढ़ निवासी नरेंद्र राजपुर ने कलेक्टर पन्ना को की है। दिये गये शिकायती पत्र में उल्लेख है कि तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार के द्वारा ग्राम जैतपुर राजस्व निरीक्षक मंडल बीरा तहसील अजयगढ़ जिला पन्ना के आराजी खसरा नंबर 405 रकबा 1.61 हे० भूमि बंटन से प्राप्त होकर गया पिता दसिया निवासी जैतपुर शासकीय पट्टेदार का जिल्द बंदोबस्त वर्ष 1986-87 में दर्ज रहा एवं वर्ष 2015-16 में श्रीमति हल्की पत्नी छोटेलाल पटेल पता निवासी ग्राम बंटित भूमि दर्ज अधिलेख रहा है एवं उक्त आराजी के दो टुकड़े 405/1 एवं 405/2 रकबा क्रमशः 0.800 एवं 0.810 होकर

राजस्व प्रकरण क्रमांक 0056/अ-6/2022-23 आदेश दिनांक 30 मार्च 2023 पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार अहिरवार तथा प्रकरण क्रमांक 0440/अ-6/2022-23 आदेश दिनांक 14 मार्च 2023 पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार अहिरवार द्वारा एम पी पावर टान्समीशन पैकेज लिमिटेड उर्मिल शाह पिता नाथाभाई शाह के नाम बंटन से प्राप्त भूमि का नामांतरण सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कर दिया गया। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार के द्वारा MOPRO भू राजस्व संहिता का उलंघन कर कई अन्य ग्रामों की शासकीय पट्टेदार/ बंटन/ सोलिंग से प्राप्त भूमियों का नामांतरण कर अनुचित लाभ पहुंचाया गया है एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कुशुको की भूमियों को भू-माफियों से साठगांठ कर खरीद फरोख्त कराकर कर नामांतरण की जिम्मेदारी लेकर नामांतरण किये गये।

**विना अनुमति किये गये अन्य प्रकरणों पर एक नजर:-** तहसीलदार सुरेंद्र अहिरवार द्वारा ग्राम मोकछ राजस्व निरीक्षक मंडल धरमपुर तहसील अजयगढ़ की आराजी खसरा नं 409/2 रकबा 0.54 हे० भूमि के संबंध में नुझार पिता छोटेलाल पटेल बनाम सुशील कुमार पिता खड्गा उर्फ

चुनवादे आरख निवासी मोकछ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0087/अ-6/2022-23 आदेश दिनांक 26 सितंबर 2022 के द्वारा रजिस्ट्री नामांतरण पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार अहिरवार द्वारा प्रकरण के अवलोकन के बाद प्रकरण को यह लिखकर खारिज किया गया कि विक्रेता सहित आरख परिवार के लोग अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र से शासकीय नौकरी कर लाभ ले रहे जो MOPRO शासन राज्य जाति की सूची के अनुक्रमंक 16 में दर्ज आरख जाति अनुसूचित जनजाति में आते हैं विक्रेता द्वारा कलेक्टर से भूमि विक्रय की अनुमति नहीं ली गयी है जबकि इसी आराजी खसरा नं 409 / 2 रकबा 0.54 हे० के संबंध में रामचंद्र पिता राजकुमार पटेल बनाम विनोद पिता चुनवादे उर्फ खड्गा आरख निवासी मोकछ के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0979/ अ-6 / 2024-25 आदेश दिनांक 13 मई 2025 के द्वारा रजिस्ट्री नामांतरण पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार अहिरवार द्वारा प्रकरण के अवलोकन के बाद प्रकरण को यह लिखकर स्वीकृत किया गया है कि विक्रेता विनोद पिता खड्गा आरख अनुसूचित जाति का है जिसकी पुष्टि विक्रेता के भाई सुशील पिता खड्गा आरख द्वारा की गयी है विक्रेता की जाति की पुष्टि

करने वाले भाई के संबंध में इसी पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक -0087 / अ-6/2022-23 आदेश दिनांक 26 सितंबर 2022 से अनावेदक सुशील कुमार को अनुसूचित जाति का बता कर आवेदन खारिज किया गया) जबकि आपत्तिका अधिका द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि विक्रेता आरख जाति का है जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं इनके द्वारा विना कलेक्टर की अनुमति के विक्रय पत्र निष्पादित कराया गया है जिससे आवेदित भूमि का नामांतरण निरस्त किया जाये के विपरीत आपत्तिसारहीन बताकर निरस्त की गयी एवं नामांतरण स्वीकृत किया गया चूंकि उक्त आराजी मुख्य मार्ग सतना बांदा की बेसकीमती भूमि जोकि अनुसूचित जनजाति की है जिसे अनुसूचित जाति की बताकर अनुचित तरीके से नामांतरण किया गया है।

इसी प्रकार इनके द्वारा तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार के द्वारा ऐसा कृत्य आरख अनुसूचित जनजाति के कुशुको की भूमियों को भू-माफियों से साठगांठ कर खरीद फरोख्त कराकर कर नामांतरण की जिम्मेदारी लेकर नामांतरण किये गये। इनके द्वारा अपने खारिज किये गये आदेशों पर अपील में न जाकर स्वयं ही आदेश

कर नामांतरण स्वीकृत किये जाते हैं। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार ने ग्राम सिद्धपुर राजस्व निरीक्षक मंडल धरमपुर तहसील अजयगढ़ आराजी नामांतरण क्रमांक 1592, 1609, 1611 रकबा क्रमशः 0.05, 0.64, 0.040 भूमि रामकेश पिता रघुवर पाल निवासी सिद्धपुर के नाम है जो सेन्टल बैंक आफ इण्डिया शाखा हरदो में उक्त तीनों आराजी से 200000 दो लाख रूपये दिनांक 21 जून 2021 से बंधक रूपा है। तथा पुनः सेन्टल बैंक आफ इण्डिया शाखा हरदो में दिनांक 28 जुलाई 2023 से आज दिनांक तक बंधक है। जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 0432 / अ-6/2025-26 आदेश दिनांक 09 अक्टूबर 2025 अहिरवार द्वारा अनुचित तरीके से बंधक भूमि का रजिस्ट्री नामांतरण कर दिया गया है जबकि इसी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी सुरेंद्र कुमार अहिरवार द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 0751/अ-6/2024-25 आदेश दिनांक 18 सितंबर 2025 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग संभाग रीवा उप संभाग गोंगाव जिला छतरपुर MOPRO के प्रकरण को अवलोकन बाद उक्त भूमि खसरा अधिलेख में बंधक दर्ज बताकर विक्रय पत्र के आधार पर

आवेदक का नामांतरण कार्यवाही से खारिज किया गया है। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार अहिरवार के द्वारा शासन के निर्देशों का पालन न किया जाकर मन माने ढंग से कार्य किया जाता है एवं बैंक द्वारा प्रदाय की गयी राशि को बंधक भूमि का नामांतरण किया जा रहा इस कृत्य से शासन की निर्देशों को अवहेलना व अपने हितबद्धों को लाभ पहुंचाकर अनुचित लाभ प्राप्त कर भूमिमाफियों को संरक्षण दिया जा रहा है।

## क्या कहते हैं अधिकारी

जब उपरोक्त मामले में तहसीलदार अजयगढ़ सुरेंद्र अहिरवार से चर्चा की गई तो उन्होंने उपरोक्त शिकायत के सारे आरोपों का खंडन करते हुए बेवुनियाद बताया वहीं जब एसडीएम अजयगढ़ आलोक मार्को से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जैतपुर निवासी आदिवासी व्यक्ति की जमीन एमपी पावर टान्समिशन पैकेज लिमिटेड उर्मिल शाह पिता नाथ भाई के नाम वाले प्रकरण की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं थी। शेष जो शिकायत पत्र में कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रतिबंधित ग्राम मझगांव, बड़ी रूथ, भापपुर आदि के भूस्वामियों के नामांतरण की जांच जारी है। जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अजयगढ़ सुरेंद्र अहिरवार से चर्चा की गई तो उन्होंने उपरोक्त शिकायत के सारे आरोपों का खंडन करते हुए बेवुनियाद बताया वहीं जब एसडीएम अजयगढ़ आलोक मार्को से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जैतपुर निवासी आदिवासी व्यक्ति की जमीन एमपी पावर टान्समिशन पैकेज लिमिटेड उर्मिल शाह पिता नाथ भाई के नाम वाले प्रकरण की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं थी। शेष जो शिकायत पत्र में कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रतिबंधित ग्राम मझगांव, बड़ी रूथ, भापपुर आदि के भूस्वामियों के नामांतरण की जांच जारी है। जांच उपरांत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

# पन्ना टाइगर रिजर्व नेचर कैम्पस के गौरवशाली 15 वर्ष पूर्ण

**नवभारत न्यून**  
पन्ना 1 नवंबर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आज पन्ना टाइगर रिजर्व में नेचर कैम्पस की 15 वर्ष की गौरवशाली यात्रा का उत्सव मनाया गया। 1 नवम्बर 2010 को तत्कालीन फ्लैड डायरेक्टर श्री आर. श्रीनिवास मुर्ति (सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी) के मार्गदर्शन में इस अभिनव पहल को शुरुआत की गई थी।



यह पहल का उद्देश्य स्थानीय लोगों, विशेषकर बच्चों को जंगलों और वन्यजीव संरक्षण की भावना से जोड़ना था, ताकि वे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना विकसित कर सकें। विगत पंद्रह वर्षों में पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन द्वारा कुल 365 नेचर कैम्पस सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं, जिनमें 11,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों, ग्रामीण युवाओं, वनकर्मियों और स्थानीय समुदायों ने इन कैम्पों के माध्यम से जंगल की पारिस्थितिकी, वन्यजीव विविधता, जल एवं मिट्टी संरक्षण, और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व के बारे में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया। इन कैम्पों ने वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास और साझेदारी को मजबूत किया है। अनेक प्रतिभागी आज प्रकृति मित्र बनकर अपने क्षेत्रों में संरक्षण की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। यह पहल पर्यावरण शिक्षा और जनसहभागिता का एक सफल मॉडल बन चुकी है, जिसने संरक्षण को संच

को हर घर तक पहुंचाया है। इस उल्लेखनीय यात्रा का श्रेय उन सभी अधिकारियों, शिक्षकों, वनकर्मियों और समुदायों को जाता है जिन्होंने इस परंपरा को जीवंत बनाए रखा। विशेष रूप से आर. श्रीनिवास मुर्ति की दूरदर्शी सोच ने इस अभियान की नींव रखी, जबकि वर्तमान में फ्लैड डायरेक्टर नरेश कुमार यादव और उप संचालक मोहित सूद के मार्गदर्शन में यह पहल निरंतर सशक्त और प्रभावशाली रूप से आगे बढ़ रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व परिवार सभी प्रतिभागियों और सहयोगियों को हार्दिक धन्यवाद एवं शुभकामनाएं देता है। यह 15 वर्ष की यात्रा पन्ना की जनता और वन विभाग के बीच सशक्त संबंध का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति संरक्षण की प्रेरणा देती रहेगी।



## दो वनकर्मियों को मिला मध्य प्रदेश वन विभाग का सर्वोच्च सम्मान वन बल प्रमुख कमेंडेशन डिस्क

**नवभारत न्यून**  
पन्ना 1 नवंबर। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में दक्षिण पन्ना वनमण्डल के दो समर्पित वनकर्मियों प्रेमनारायण शर्मा (वनरक्षक, बोरी बीट) एवं चन्द्रप्रकाश शर्मा को वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कमेंडेशन

डिस्क एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। यह सम्मान वन भवन, भोपाल में आयोजित समारोह में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा प्रदान किया गया। दोनों वनरक्षकों ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उत्कृष्ट निष्ठा, अनुशासन एवं समर्पण का परिचय दिया है।

# पन्ना पुलिस ने झोलाछाप डॉक्टर को किया गिरफ्तार

**नवभारत न्यून**  
पन्ना 1 नवंबर। पन्ना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक ऐसे झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसके इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। आरोपी को पुलिस टीम ने रायपुर (छत्तीसगढ़) से गिरफ्तार किया है। दिनांक 24 अगस्त को जिला चिकित्सालय पन्ना से सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला प्रथमबाई यादव को मृत अवस्था में लाया गया है। मृतका के परिजन भरतलाल यादव पिता दरबारी यादव निवासी हिनाता थाना कोतवाली पन्ना द्वारा उसकी मृत्यु को संदिग्ध बताया गया। इस संबंध में

थाना कोतवाली में धारा 104 बीएनएस पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई। जांच के दौरान परिजनों ने बताया कि मृतका श्यामबाई को सर्दी-बुखार होने पर उसका इलाज तथ्यांकित डॉक्टर फकरुद्दीन अली अहमद खान उर्फ डब्बू पिता मजीद अहमद निवासी किशुगढ़ जिला छतरपुर (हाल निवासी हिनाता, पन्ना) द्वारा किया गया था। आरोपी ने विना किसी वैध डिग्री या अनुमति के इंजेक्शन व दवाइयों देकर इलाज किया, जिससे महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे मृत्यु से खून आने लगा। परिजन तत्काल उसे एनएमडीसी अस्पताल मझगांव लेकर पहुंचे, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर

निवेदिता नायडू के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को भिलाही, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) से गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। आरोपी के कब्जे से उसका फर्मासिप्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ऐलोपैथिक दवाएं, सिरिज, कोलम, पट्टियां एवं ट्यूब आदि (कुल मूल्य 460 रूपये) जब्त की गई। आरोपी ने पूछाछ में स्वीकार किया कि उसने मृतका को लगाई गई दवाइयों एवं इंजेक्शन नष्ट कर दिए।

अपनाते हुए ज्वानिगंम कर ली गई तो, उक्त अतिथि शिक्षक के द्वारा 181 सी एम हेल्थलाइन पर शिक्षण की गई, जिसके संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी पर्वई के माध्यम से जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन के अनुसार उच्च शिक्षक द्वारा गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक उषेंद्र सिंह चौहान को प्राथमिकता के आधार पर ज्वानिगंम नहीं कराया गया। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक से विना असहमति लिए एवं प्राथमिकता के आधार पर

पन्ना 1 नवंबर। पन्ना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक ऐसे झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसके इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। आरोपी को पुलिस टीम ने रायपुर (छत्तीसगढ़) से गिरफ्तार किया है। दिनांक 24 अगस्त को जिला चिकित्सालय पन्ना से सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला प्रथमबाई यादव को मृत अवस्था में लाया गया है। मृतका के परिजन भरतलाल यादव पिता दरबारी यादव निवासी हिनाता थाना कोतवाली पन्ना द्वारा उसकी मृत्यु को संदिग्ध बताया गया। इस संबंध में

पन्ना 1 नवंबर। पन्ना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए एक ऐसे झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, जिसके इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। आरोपी को पुलिस टीम ने रायपुर (छत्तीसगढ़) से गिरफ्तार किया है। दिनांक 24 अगस्त को जिला चिकित्सालय पन्ना से सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला प्रथमबाई यादव को मृत अवस्था में लाया गया है। मृतका के परिजन भरतलाल यादव पिता दरबारी यादव निवासी हिनाता थाना कोतवाली पन्ना द्वारा उसकी मृत्यु को संदिग्ध बताया गया। इस संबंध में

## आयरलैंड से अभय ने किया एमबीए

**नवभारत न्यून**  
सलेहा/पन्ना 1 नवंबर। यूरोप आयरलैंड में स्थित डबलिन सिटी युनिवर्सिटी में अध्ययनरत अभय शर्मा निवासी सलेहा द्वारा वर्ष 2024-2025 में अध्ययनरत होकर मास्टर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री प्राप्त की।

यूनिवर्सिटी आयरलैंड द्वारा एमबीए की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्रों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अभय के माता-पिता भी शामिल हुए, अभय शर्मा सलेहा पूर्व सरपंच राजेश्वरी शर्मा एवं जनपद उपाध्यक्ष सचिदानंद शर्मा के पुत्र हैं, अभय की उपलब्धि पर परिजनों सहित सलेहा नगर वासियों एवं श्री शर्मा के इष्ट मित्रों ने अभय को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

## नगर परिषद ने 14 अस्थाई श्रमिकों को हटाया

**नवभारत न्यून**  
पर्वई 1 नवम्बर। नगर परिषद पर्वई हमेशा ही सुविधियों में बना रहता है। ताजा मामला नगर परिषद के द्वारा 11 अस्थाई सफाई श्रमिकों को उनके काले व्यवहार, उपस्थिति और वरिष्ठ अधिकारियों से अभद्र व्यवहार व 3 को पुलिस में अपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण हटाए जाने का आया है। जिसके विरोध में समस्त सफाई कर्मी शनिवार को एकजुट होकर नगर परिषद परिसर में एकजुट होकर काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। जिससे नगर के बाड़ों में साफ सफाई न होने से गंदगी ही गंदगी नजर आने लगी है। पूर्व दिन सफाई कर्मी काम बंद

हड़ताल पर बैठे रहे इसके बाद नगर परिषद सीएमओ विनीत नायाच हड़ताल स्थल पर पहुंचे और दोषी कर्मचारियों एवं समस्त अमले को हड़ताल दौड़ गई की पिछले दिनों होइयाए प्लस में पर्वई का काम नहीं आया था यह अंतिम चेतावनी है सभी मेहनत व लगन के साथ कार्य करें और पूरे नगर में स्वच्छता बनाए रखें जिससे भविष्य में पर्वई का नाम ओडीएफ प्लस में आए यदि अब कोई भी सत्राई कर्मचारी अगर लापरवाही करता है तो उसे बख्श नहीं जाएगा इसके बाद सभी सफाईकर्मियों ने हड़ताल बापस ली और कल से काम पर बापस आने की बात कही।

## कुर्मी क्षत्रिय समाज ने विशाल रैली निकालकर धूमधाम से मनाई सरदार पटेल की जयंती

**नवभारत न्यून**  
गुनौर/पन्ना 1 नवंबर। लौह पुरुष सरदार बल्लभभाई पटेल के 150वें जन्म दिवस को एकता दिवस के रूप में पूरे जिले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर हर्षोल्लास से मनाया गया। इसी प्रकार गुनौर में भी कुर्मी क्षत्रिय समाज जिला इकाई पन्ना के तत्वाधान में पूरे जिले से आए सैकड़ों ट्रेक्टरों एवं वाहनों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान कई जगहों पर सामाजिक संगठनों, प्रतिष्ठानों ने रैली का फूल चमका कर स्वागत किया। रैली की सरदार बल्लभभाई पटेल शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय गुनौर से प्रारंभ होकर वहीं पर समापन हुआ।

संबोधित करते हुए सरदार पटेल के त्याग, परिश्रम, दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस, कुशल नैतृत्व, संगठनात्मक क्षमता का विस्तार से वर्णन करते हुए उनके जीवन से ली गई शिक्षा व उनके आदर्शों पर चर्चे हुए अपनी समर्थ अपने संघर्षों से लक्षित कार्यों का विरोध करने की सलाह दी एवं अपने प्रज्वलित कर सरदार बल्लभ भाई पटेल को प्रगति के वर्षों उपस्थित मुख्य अतिथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री कुसुमरिणी ने

